पल्लव शासन-पद्धति-

पल्लव शासन पद्धति में प्रशासन का केन्द्र बिन्दु राजा था। राजा भारी-भरकम

उपाधि लेते थे जैसे अग्निष्टोम, वाजपेय, अश्वमेध यज्ञी राजा को प्रशासन

में सहायता और परामर्श देने के लिए मंत्री होते थे। प्रशासनिक सुविधा के

लिए राज्य विभिन्न भागों में विभाजित था जिसका प्रशासन चलाने के लिए

अधिकारी नियुक्त थे। साम्राज्य का विभाजन राष्ट्रों (प्रान्त) में किया गया

और **राष्ट्र** के प्रमुख अधिकारी को विषयिक कहा जाता था। **राष्ट्र** कोट्टम में विभाजित था जिसके अधिकारी को **देशांतिक** कहा

जाता था। सम्राट् का एक निजी मंत्री (प्राइवेट सेक्रेटरी) हुआ करता था जो

उसके आदेशों को लिखा करता था और उनकी घोषणा करता था। राजकीय कर एकत्र करने

के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त थे जिन्हें **मण्डपी** कहते थे और वह स्थान जहां कर जमा होता था, उसे, **मंडप** कहते थे। राजा निम्नलिखित अधिकारियों की सहायता से प्रशासन का संचालन करता था-

Scanned with CamScanner

मंत्रिपरिषद्- (रहस्यदिकदास),

अमात्य, महादंडनायक, जिलाधिकारी-(रतिक), ग्राम मुखिया (ग्राम भोजक),

युवराज, महासेनापति, गौल्मिक, चुंगी अधिकारी-मंडवस।

प्रशासन

की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्रामवासियों को ग्राम का प्रशासन चलाने में

काफी स्वतंत्रता प्राप्त थी। प्रत्येक ग्राम की एक ग्राम सभा होती थी।

ग्राम सभा की उपसमितियां होती थीं जो उद्यान, मन्दिर, तालाब इत्यादि का

प्रबन्ध करती थी। ग्राम सभाओं को सीमित स्थानीय न्याय-सम्बन्धी अधिकार भी

प्राप्त थे। वे सार्वजनिक दानों का प्रबन्ध करती थीं। ग्राम की सीमाएँ साफ

तौर पर निश्चित कर दी जाती थीं और किसान की भूमि का माप करके उसका रिकार्ड

रखा जाता था। प्रशासनिक विभाजन-मंडल (राज्य)- राष्ट्रिक, नाडू

(जिला)-देशातिक- कोट्टम (ग्राम समूह) इसके ऊपर कोई अधिकारी नहीं था।

Scanned with CamScanner